

**कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी, हरदोई उत्तर प्रदेश**  
 पत्रांक-रा०मे०का०५०/२०२१-२२/५८

दिनांक-१५.०६.२०२१

**सूचना**

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी, हरदोई में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति।

एन०एम०सी०१०/एम०सी०आई० मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय, में रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतदद्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन, चयन समिति के द्वारा वाक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सक्षात्कार हेतु **दिनांक -२६ जून, २०२१** से प्रत्येक शनिवार को (पदों के रिक्त रहने तक) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (महिला) कार्यालय हरदोई में प्रातः १०:०० बजे अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा एवं अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित हो। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियाँ एवं नियुक्ति की शर्त महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के वेबसाइट <http://dgmcup.in> पर उपलब्ध हैं।

| क्र० सं० | विशिष्टता  | आचार्य         |        | सह आचार्य      |        | सहायक आचार्य   |        |
|----------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|          |  | पदों की संख्या | श्रेणी | पदों की संख्या | श्रेणी | पदों की संख्या | श्रेणी |
| 1.       | आर्थिकीकरण   | -              | -      | ०१             | SC     | -              | -      |
| 2.       | आव्सट्रेटिक्स एण्ड गायनकोलोजी                            | ०१             | SC     | -              | -      | -              | -      |
| 3.       | इमरजन्सी मेडिसिन   | -              | -      | ०१             | SC     | ०१             | UR     |
| 4.       | एनेस्थीसियोलॉजी  | -              | -      | ०१             | SC     | -              | -      |
|          |  |                |        | ०१             | UR     |                |        |
| 5.       | कम्युनिटी मेडिसिन  | -              | -      | -              | -      | ०१             | EWS    |
| 6.       | जनरल मेडिसिन   | ०१             | SC     | ०१             | SC     | ०१             | SC     |
|          |  |                |        | ०१             | GEN    |                |        |
| 7.       | जनरल सर्जरी  | -              | -      | ०१             | SC     | -              | -      |
|          |  |                |        | ०१             | EWS    |                |        |
| 8.       | ट्रूयूवरकुलसिस एण्ड रीस्युरेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन | -              | -      | ०१             | SC     | -              | -      |
| 9.       | डर्नटोलोजी ब्योरोलोजी एण्ड लेप्टोस्टी                    | -              | -      | ०१             | SC     | -              | -      |
| 10.      | मीडियाट्रिक्स  | -              | -      | ०१             | SC     | -              | -      |
| 11.      | फार्माकोलोजी   | -              | -      | ०१             | SC     | -              | -      |
| 12.      | फार्मासिक मेडिसिन  | -              | -      | -              | -      | ०१             | SC     |
| 13.      | बायोकेमिस्ट्री   | -              | -      | ०१             | SC     | -              | -      |
| 14.      | रेडियो-डाइग्नोसिस  | -              | -      | ०१             | SC     | -              | -      |
| 15.      | साइकियाट्री  | -              | -      | ०१             | SC     | -              | -      |
| योग      |  | ०२             |        | १५             |        | ०५             |        |

नोट-एन०एम०सी० मानकों एवं एल०ओ०पी० को दृष्टिगत रखते हुए आदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी से रिक्त पद को भरने पर विचार किया जायेगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैं-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रूपया १,३५,०००/- सह आचार्यों का नियत वेतन रूपया १,२०,०००/- तथा सहायक आचार्यों को नियत वेतन रूपया ९०,०००/-माह है, इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India Minimum Qualification for Teacher's in medical Institution's Regulation 1998 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश सं०-२२८२/७१-१-२०१३-जी०-११/२०११ दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा ७० वर्ष होगी।
- शासनादेश सं०- ५६२/७१-१-२०२०-जी०-६३/२००८ दिनांक 10.06.2021 द्वारा संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु ६० वर्ष, सह आचार्य हेतु ६४ वर्ष एवं आचार्य हेतु ६८ वर्ष होगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अहता/शैक्षिक अनुभव Autonomus State Medical College Uttar Pradesh, Principal and Teacher's (Recruitment & other Condition of Services) Model Rules 2020 में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओ०पी०डी० के दिन प्राइवेट फ्रैंकिट्स नहीं करेंगे।

6. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिये आध्य नहीं करेगा।
8. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकारिक/आपदा सेवाएं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त सविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाग अनुबन्ध नहीं होंगे।
10. सविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोष जनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोष जनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा पर पुनः बढ़ाया जा सकता है।
11. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का सविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोष जनक सेवा के पश्चात् चयनित पर पुनः बढ़ाया जा सकता है।
12. सविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में सविदा नियुक्ति स्वतः रद् मानी जायेगी। सविदा पर नियुक्ति ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
13. सविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिये कोई बोनस देय नहीं होंगे।
14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिये हकदार नहीं होंगे।
15. सविदा आवारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का सविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
16. सविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। सविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुबन्ध होगी।
17. अन्यार्थियों के साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपारिक वाद प्रवलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उसकी सेवायें रामापत् कर दी जायेंगी।
18. उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०-१/ २०१९/४/१/ २००२/ का-२/१९ टी०सी०-२ दिनांक १८.०२.२०१९ के अन्तर्गत ई०डब्ल०एस० (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु की वार्षिक आय रूपये ८.०० लाख कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलादार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत नेट पर देखा जा सकता है।
19. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
20. उक्त साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी  
रवशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी,  
हरदोई

तददिनांक

पत्रांक-रा०म००का०ह०/२०२१-२२/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन, छठा तल उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञिति को महानिदेशालय लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
3. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज उ०प्र०।
4. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र० लखनऊ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, यिता चिकित्सालय, हरदोई को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञिति को अपने चिकित्सालय के नोटिस बोर्ड पर चर्पा करने का कष्ट करें।

प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी  
रवशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी,  
हरदोई